01/02/2021 Misc 86/2020 MACP 177/2011

पुकार पर उभय पक्ष के वि० अधि० उपस्थित। बीमा कम्पनी के प्रार्थना पत्र 38 ख तथा याचीगण के प्रा० प० 8 C पर सुना। 38 प्रा० प० इस आशय का है कि FAFO 1056 of 2014 के आलोक मे अवार्ड की गई धनराशि मे से 60000 रु० व उस पर ब्याज उन्हे दिया जाय। 8 C प्रा० प० इस आशय का है कि अवशेष धनराशि याचीगण के पक्ष मे रिलीज कर दी जाए। उभय पक्ष की ओर से धनराशि रु० 60,000 पर अलग-अलग गणनाये है। दोनो गणनाये उचित नही है। याचिका वर्ष 2011 मे प्रस्तुत हुई व बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति वर्ष 2014 मे जमा की गई जिसपर 7% साधारण वार्षिक ब्याज दिया गया है। इस प्रकार 37 माह का ब्याज 12,950 रु० आता है। इसके पश्चात वर्ष 2014 से अबतक 80 माह का ब्याज 10,725 होता है। इस प्रकार बीमा कम्पनी को वापस की जाने वाली धनराशि 60,000+12,950+10,725 = 83,675 होती है।

आदेश

रु० 83,675 (तिरासी हजार छ: सौ पचहत्तर) नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी के पक्ष मे अवमुक्त की जाए तथा अवशेष धनराशि याचीगण के पक्ष के पक्ष मे अवमुक्त की जाए। तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित हो। प्रा० प० 38 व 8 C तदनुसार निस्तारित। उपरोक्तानुसार कार्यालय फार्म 2 जारी करे।

C. Kumar
01/2/21

पीठासीन, मो० दु० दा० न्यायाधिकरण झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.02.16 23:29:21 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI